

हमारे विचार में अपीलकर्ता की बहाली के लिए कोई आदेश उचित रूप से दिया जा सके। पहले प्रतिवादी-कंपनी के वकील ने सही तर्क दिया है कि यह प्रबंधन की ओर से कर्मचारी में विश्वास की हानि का एक स्पष्ट मामला है और मुआवजा पर्याप्त राहत होगी।

(14) उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, मेरा मानना है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कर्मचारी की बहाली का आदेश दिया। इन परिस्थितियों में उनकी बर्खास्तगी पूरी तरह से उचित थी। प्रतिवादी की ओर से बकाया वेतन की याचिका इस निष्कर्ष के लिए आवश्यक परिणाम के रूप में सामने आती है।

(15) नतीजतन, मैं नियोक्ता की ओर से दायर 1985 के सीडब्ल्यूपी नंबर 2149 को अनुमति देता हूं और ट्रिब्यूनल के अनुबंध पी. 1 के फैसले को उस हद तक रद्द करता हूं, जहां तक यह कामगार की बहाली का निर्देश देता है। साथ ही, जे_ ने काम करने वाले व्यक्ति की ओर से दायर 1985 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3767 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसकी बर्खास्तगी को उचित ठहराया जा रहा है, प्रतिवादी नंबर 1 के आदेश के अनुसार उसकी बहाली अधिकार क्षेत्र के बिना थी और वह बकाया मजदूरी का हकदार नहीं है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

आरएनआर

मानिनीय न्यायमूर्ति जीसी मितल के समक्ष

सिरी चंद - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य -प्रतिवादी

1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 1429

20 अगस्त 1986.

पंजाब किरायेदारी अधिनियम [1887 का XVI) - धारा 11(3) - पंजाब भूमि-
अधिकार सुरक्षा अधिनियम (1953 का X) - धारा 9 और 14ए(ii) - किराए के
बकाया के लिए भूमि मालिकों का बेदखली का मुकदमा - बेदखल करने का आदेश
किरायेदारी अधिनियम की धारा 77(3) के तहत किरायेदार के खिलाफ पारित -
भूमि किरायेदारी अधिनियम की धारा 14ए(ii) द्वारा निर्धारित निष्कासन की प्रक्रिया
का पालन नहीं किया गया - किरायेदार को एक महीने के भीतर बकाया राशि जमा
करने के लिए फॉर्म "एन" में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया -बेदखली का आदेश-
क्या किरायेदारी अधिनियम के तहत अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से परे है -उक्त
आदेश-क्या रद्द किया जा सकता है।

माना गया, कि पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्चोर्स एक्ट, 1953 की धारा 9 उन आधारों को प्रदान करती है जिन पर बेदखली की मांग की जा सकती है और इसकी धारा 14 बेदखली की मांग करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। भूमि स्वामित्व अधिनियम की धारा 14ए का खंड (ii) एक भूमि मालिक को किरायेदार से बकाया किराए की वसूली के लिए सहायक कलेक्टर को लिखित रूप में आवेदन करने की अनुमति देता है और आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित प्रपत्र में एक नोटिस भेजा जाता है। किरायेदार को या तो किराया जमा करना होगा या भुगतान करने का प्रमाण देना होगा या भूस्वामी द्वारा इसे प्राप्त करने से इनकार करने के तथ्य का प्रमाण देना होगा या नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर फॉर्म 'एन' में रसीद देनी होगी, जिसे निर्धारित किया गया है। नियम। फॉर्म 'एन' को पढ़ने से पता चलता है कि नोटिस प्राप्त होने के एक महीने के भीतर राशि जमा करनी होगी जब तक कि किरायेदार यह साबित करने में सक्षम न हो जाए कि उसने किराया चुका दिया है या यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि मकान मालिक ने किराया प्राप्त करने से इनकार कर दिया है या इसकी रसीद दीजिए. पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 की धारा 77(3) के तहत भूमि किरायेदारी अधिनियम की धारा 14ए(ii) के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना और फॉर्म 'एन' जारी किए बिना बेदखली का आदेश पारित किया गया, जिसमें किरायेदार को नोटिस जारी किया जाना था। , किरायेदारी अधिनियम के तहत वैधानिक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र से परे है और इस प्रकार आदेश रद्द किया जा सकता है।

(पैरा 3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि :

- (a) उन्होंने मामले के रिकॉर्ड तलब किए और उन्हें देखने के बाद , अनुलग्नक पी -3 से पी-6 में निहित विवादित आदेशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक उचित रिट जारी की जाए;
- (b) कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, जारी कर सकता है;
- (c) बेदखली और रुपये की वसूली के लिए भूमि मालिकों-प्रतिवादी का मुकदमा संख्या 6 से 9 , 300 लागत सहित बर्खास्त किया जाए;
- (d) उन्होंने उत्तरदाताओं को प्रस्ताव का नोटिस जारी करने से मुक्ति दे दी;

आगे यह प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान विवादित आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील - सुनील गौड़ ।

प्रतिवादी की ओर से -अमन दहिया, वकील ।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति गोकल चंद मितल -

(1) 5 अगस्त, 1975 को, राम फल और अन्य भूस्वामियों ने सिरी चंद किरायेदार के खिलाफ बेदखली और रुपये के किराए की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। खरीफ 1972 से रबी 1975 तक की फ़सलों के लिए 300 रु. 11 बीघे 14 बिस्वा कृषि भूमि के लिए प्रति वर्ष 100 रु. यह मुकदमा सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सोनीपत के समक्ष पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 (संक्षेप में '1887 अधिनियम') की धारा 77(3) के तहत दायर किया गया था। मुकदमे की जानकारी होने पर किरायेदार ने तुरंत रुपये की राशि जमा कर दी जो की ₹300, - 27 नवंबर, 1975 को एक्ज़िबिट डी4 के माध्यम से। लेकिन लिखित बयान में उन्होंने दलील दी कि उन्होंने खरीफ 1972 से रबी 1974 तक का किराया चुकाया था और खरीफ 1974 और रबी 1975 के लिए उन्होंने रुपये भेजे थे। 24 जून 1975 को मनी ऑर्डर द्वारा 100 रुपये दिए गए लेकिन भूस्वामियों ने मनी ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे उन्हें बेदखल करना चाहते थे। सहायक कलेक्टर ने आदेश अनुलग्नक पी 3 दिनांक 1 अप्रैल 1976 द्वारा बेदखली का आदेश दिया और यह भी पाया कि रु. 300 बकाया थे और उन्हें जमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। कलेक्टर के समक्ष किरायेदार की अपील, आयुक्त और वित्तीय आयुक्त के समक्ष आगे की अपील असफल रही और उसके बाद, उन आदेशों को रद्द करने के लिए भारत के

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की गई।

(2) वैधानिक अधिकारियों ने पाया है कि किरायेदार ने खरीफ 1972 से रबी 1974 तक किराया नहीं दिया था। हालांकि, यह पाया गया कि किरायेदार ने रुपये भेजे थे। पिछली दो फसलों के लिए मनी ऑर्डर द्वारा ₹100 भेजे गये, लेकिन देखा गया कि मनी ऑर्डर के माध्यम से किराया भेजने के लिए अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं था। यह भी देखा गया कि भूस्वामियों की ओर से मनी ऑर्डर स्वीकार करने से इनकार एक्ज़िबिट्स डी 1से डी3 तक साबित नहीं हुआ क्योंकि उस पर इनकार का कोई नोट नहीं था।

(3) किरायेदार की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि 1887 अधिनियम पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 (संक्षेप में '1953 अधिनियम') की धारा 14-ए के साथ पढ़ी गई धारा 9 के प्रावधानों से अधिक प्रभावित है, क्योंकि निम्नलिखित गैर-अस्पष्ट खंड में से: -

"तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद, कोई भी भूस्वामी किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिए सक्षम नहीं होगा, सिवाय ऐसे किरायेदार के -----"

धारा 9 वह आधार प्रदान करती है जिस पर निष्कासन की मांग की जा सकती है और धारा 14-ए निष्कासन मांगने की प्रक्रिया प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 14-ए का खंड (ii) एक भूस्वामी को किरायेदार से बकाया किराए की वसूली के लिए सहायक कलेक्टर को लिखित रूप में आवेदन करने की अनुमति देता है और आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित प्रपत्र में एक नोटिस भेजा जाता है। किरायेदार को या तो किराया जमा करना होगा या भुगतान करने का प्रमाण देना होगा या भूस्वामी द्वारा इसे प्राप्त करने से इनकार करने के तथ्य का प्रमाण देना होगा या नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर रसीद देनी होगी। फॉर्म नियमों में निर्धारित किया गया है और हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक फॉर्म 'एन' होगा। फॉर्म 'एन' को पढ़ने से पता चलता है कि नोटिस प्राप्त होने के एक महीने के भीतर राशि जमा करनी होगी जब तक कि किरायेदार यह साबित करने में सक्षम न हो जाए कि उसने किराया चुका दिया है या यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि मकान मालिक ने किराया प्राप्त करने से इनकार कर दिया है या इसकी रसीद देता है। वर्तमान मामले में, चूंकि मुकदमा 1887 अधिनियम की धारा 77(3) के तहत दायर किया गया था, न कि 1953 अधिनियम के तहत, 1953 अधिनियम की धारा 14-ए (ii) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और न ही फॉर्म 'एन' में नोटिस दिया गया था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के बावजूद किरायेदार ने जोखिम नहीं लिया और रुपये जमा कर दिये। मुकदमे का पता चलने पर 27 नवंबर, 1975 को 300 रु. इसमें कोई विवाद नहीं है कि यदि उसे फॉर्म 'एन' में नोटिस जारी किया गया था और उसने रुपये जमा कर दिए थे। नोटिस प्राप्त होने के एक

माह के भीतर 300 रुपये होने पर भी उसके विरुद्ध निष्कासन का आदेश पारित नहीं किया जा सका। कानून के अनुसार आगे बढ़ने में विफलता के लिए, किरायेदार को दंडित नहीं किया जा सकता है और चूंकि उसने 300 रुपये की राशि जमा कर दी है। बेदखली का कोई मामला नहीं बनाया गया और सभी वैधानिक प्राधिकारी 1887 अधिनियम की धारा 77(3) के तहत बेदखली का आदेश पारित करने में और धारा 14-ए(ii) 1953 अधिनियम का, और फॉर्म 'एन' भी, जिसमें किरायेदार को नोटिस जारी किया जाना था, के प्रावधानों से बेखबर रहने में अपने अधिकार क्षेत्र से परे चले गए हैं। प्रक्रिया में इस मूलभूत त्रुटि के कारण, जो संबंधित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ विवाद की जड़ तक जाती है, लागू आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(4) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, इस याचिका को लागत के साथ स्वीकार किया जाता है और वैधानिक अधिकारियों द्वारा पारित बेदखली के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। हालाँकि, इसके द्वारा भूस्वामियों को 300 रुपये दिए जाने का प्रावधान है अभी भी रखा गया है। इसके द्वारा भूस्वामियों को 300 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। राशि का भुगतान भू-स्वामियों को कर दिया गया होगा और यदि भुगतान नहीं किया गया है, तो उन्हें अब इसका भुगतान किया जा सकता है।

एन.आर. _

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनमोल कक्कड़

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा